

**बिहार विधान परिषद में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न**

<p>श्री राजेश राम, मा० स० वि० प० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०-आर०-26 के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना</p>
<p align="center"><b>प्रश्न</b></p>	<p align="center"><b>उत्तर</b></p>
<p>(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिले के प्रखंड गौनाहा अन्तर्गत मटियरिया पंचायत के ग्राम शेरपुर के टोला सुगौली पर विगत 6 वर्षों से गंगुली नदी से कटाव होने से लगभग 70 परिवार विस्थापित हो गए हैं जो यत्रतत्र स्थानों पर रह रहे हैं .</p>	<p>आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2004 में गौनाहा अंचलान्तर्गत मटियरिया पंचायत के ग्राम शेरपुर, टोला-सुगौली में गंगुली नदी में बाढ़ आने के कारण उक्त नदी में कटाव से प्रभावित परिवारों में से अनेकों परिवार यथा श्री बिहारी मुखिया, श्री अमर मुखिया, श्री मंगरू मुखिया, श्री भोला मियों, श्री नंदलाल मुखिया, श्री मुंसिफ मियों, श्री घनश्याम मुखिया, श्री स्वरूप राम, श्री नरेश राम, श्री मथुरा यादव, श्री सुरेश यादव, श्री मोहित यादव, श्री गुजलाल मुखिया, श्री हीरालाल मुखिया, श्री भरीछन मुखिया एवं अन्य भू-धारी श्री दिगविजय यादव, सा०-सेरवा एवं बलदेव साह, सा०-नरकटियागंज से सिरिसिया, सेरवा एवं महजिदवा मौजों में जमीन क्रय कर निवास कर रहे हैं।</p>
<p>(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त ग्राम के कटाव पीड़ित श्री राम किशुन यादव, मिश्री यादव, सरयू यादव, भोला मियों, घनश्याम मुखिया, जिता मुखिया, भिखु मुखिया, इसलाम देवान, करामत देवान, अनवर देवान इत्यादि परिवार विस्थापित हैं,</p>	<p>उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।</p>
<p>(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कटाव पीड़ित विस्थापित परिवारों को भूमि देकर पुनर्वासित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?</p>	<p>सुयोग्य श्रेणी के वैसे परिवार जो कटाव से प्रभावित हुए एवं जिन्हें आवास की भूमि उपलब्ध नहीं है उन्हें वास हेतु जमीन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</p>

कृ०पृ०३०


बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि0स0ता0प्र0-06 / 2013 / ..... / आ0प्र0, पटना-15, दि0-

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय को उनके पत्रांक -1122(5) दि0-17.02.2013(जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से हस्तांतरित होकर इस विभाग में आया है) के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-  
(सच्चिदानंद चौधरी)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04 / वि0स0ता0प्र0-06 / 2013 / ..... 1283, ..... / आ0प्र0, पटना-15, दि0- 2/4/13 -  
प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित । ✓

  
2/4/13  
सरकार के अवर सचिव